

## **Disabled Friendly Washroom**



## Ramp



Provision for enquiry and information: Human Assistance, reader, scribe, soft copies of reading materrial, screen reading

Scribe in Exam-

## छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर (उ०प्र०)



विश्वविद्यालय परीक्षाओं के केन्द्राध्यक्षों के लिए

## दिशा निर्देश-2020

परीक्षा नियंत्रक, छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कल्यानपुर, कानपुर—208024

www.kanpuruniversity.org

11

महत्वपूर्ण सम्पर्क सूत्र 1. परीक्षा नियंत्रक कार्यालय 9369601454,6307406171 2. उप कुलसचिव (परीक्षा) 9307662090,8840770661 ई—मेल आई0डी0

- 1. coecsjmuniversity@gmail.com
- coe@kanpuruniversity.org.
- 3. registrarcsjmuknp@gmail.com

पीछे के क्रम में होगा, पुरुरी पंजित में पुन आगे से पीछे की दिका में ही विसरण किया जानेगा। छात्रों के बैठने का क्रम निम्नवन् होना !—

1	A	7	l G	13	E	19	C
2	В	8	111	14	F	20	D
3	C	9	A	15	G	21	E
4	D	10	B	16	141	1.22	197
5	E	11	C	17	A	23	43
6	F	1/2	D	18	B	24	1.11

यदि कोई छात्र अनुपरिथत हो तो मी उसकी प्रश्न पुरितका उसके चिन्हित स्थान पर रख दी जाये. जो परीक्षा शुरू होने के बाद उठा ली जाएगी तथा इसकी सुचना अनुपस्थित छात्रों की सूची में सम्मिलित की जाय।

छात्रों को बैठने का क्रम 06 के असिरिक्त 10 एवं 14 छात्रों के आधार पर भी किया जा सकता है। जैसे :--

1	IA	11	C	21	E	31	Q.
2	В	12	D	22	F	32	H
3	C	13	E	23	13	33	A
4	D	14	1 F	24	13	34	B
5	E	15	G	25	A	35	C
6	F	16	H	26	B	36	D
7	1 G	17	IA	27	C	37	E
8	H	18	B	28	D	38	F
9	A	119	C	29	E	39	G
10	В	20	D	30	F	40	E

विकलांग तथा दृष्टियाचित परीक्षार्थियों को परीक्षा हेतु निर्धारित अवधि से एक घंट का अतिरिक्त समग्र दिया जायेगा। श्रुरीलेखक (Amanuensis) की नियुक्ति विश्वविद्यालय हारा की

B-विश्वविद्यालय की परीक्षाओं में राजकीय/सहायता प्राप्त महाविद्यालयों के समस्त शिक्षकों को कम से कम 20 पाली का कक्ष निरीक्षण कार्य अनिवार्व किया गया है।

परीक्षा सम्बन्धी कार्य में ड्यूटी न करने वाले शिक्षक अनुपस्थित माने जायेंगे तदानुसार

अनुपस्थित शिक्षकों का वेतन काटा जा सकता है। अनुनारका रिकटन को परीक्षाओं में उत्तर पुरितकाओं में अश्विमितताओं को रोकने की दृष्टि से एक 9—विस्वविद्यालय की परीक्षाओं में उत्तर पुरितकाओं में अश्विमितताओं को रोकने की दृष्टि से एक अन्यर्थी द्वारा एक प्रश्न पत्र में केवल एक क्रमांकित उत्तर पुरितका ही प्रयोग की जायेगी। केन्द्राध्यक्ष किसी भी दशा में पुरानी व अक्रमांकित उत्तर पुरितका का प्रयोग कदापि न करें अन्यथा किसी विसंगति के लिए सम्बन्धित केन्द्राष्ट्रमक्ष इसके तिए पूर्णत्या उत्तरदायी होंगे।

[कृपया इन निर्देशों को मलीमांति पढ़ें क्योंकि इनमें कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तनों का समावेश किया

 विश्वविद्यालय की पार्षिक परीक्षा वर्ष 2020 में प्रायोगिकी / मौखिकी हेतु नियुक्त परीक्षकों की सूची महाविद्यालय की लॉगिन पर डालने का निर्णय लिया गया है साथ ही समानान्तर परीक्षकों को नियुक्ति पत्र महाविद्यालय तथा नियुक्त परीक्षक को भी भेजने की व्यवस्था की गयी है। बदि किन्हीं कारणों से महाविद्यालयों को परीक्षकों के नाम प्राप्त नहीं होते हैं ऐसी स्थिति में समय से परीक्षा सम्पादन हेतु तत्काल परीक्षा नियंत्रक कार्यातय से सन्पर्क करें।